

समानता

फर्द अहकाम

बनाम श्री. पी. म. मल्लिक

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या ०५ / 202 ५

सपील

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि.
	19 11 25	<p>वकीलों को पत्रावली दिनांक 19/11/25 को भेजा गया था। अतः कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 21/11/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">Ⓟ</p>	
	21.11.25	<p>वकुलाये फरीकें उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 28/11/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">Ⓟ</p>	
	28.11.25	<p>वकुलाये फरीकें उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 01/12/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">Ⓟ</p>	
01 12 25		<p>पत्रावली पेश नहीं की गई। आपातपत्रावली के दौरान बाल-बाल साक्षात्कार के बाद भी वकील भी बोल नहीं करे। इफ्तिकार नहीं करते के कारण जमीनदार की शरीर कम छपती एवं कम फीस के खर्च किया जाता है। पत्रावली केवल द्वारा केवल इफ्तिकार के कम हो बाल दापिल कर लो है।</p> <p style="text-align: center;">Ⓟ</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)